



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1405]

नई दिल्ली, बुधस्पातिवार, जुलाई 21, 2011/आषाढ़ 30, 1933

No. 1405]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2011/ASADHA 30, 1933

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2011

का.आ. 1678(अ).—विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का IV) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि अमोनियम नाइट्रेट जिसका रासायनिक सूत्र  $NH_4NO_3$  है अथवा इम्लेशन, सस्पेंशन, मैल्ड्स अथवा जैल (इनऑर्गेनिक नाइट्रेट सहित अथवा इसके बिना) सहित भार के अनुसार 45 प्रतिशत से अधिक अमोनियम नाइट्रेट वाले मिश्रण को उक्त अधिनियम के अर्थ में विस्फोटक माना जाएगा :

बशर्ते कि ऐसे अमोनियम नाइट्रेट अथवा इसके किसी मिश्रण में उन उर्वरकों को शामिल नहीं किया जाएगा जिनसे किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अमोनियम नाइट्रेट नहीं निकाला जा सकता है।

टिप्पणी : विस्फोटक नियम, 2008 के अन्तर्गत विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत सामग्रियों अथवा मिश्रणों को छोड़कर विस्फोटक नियम, 2008 अमोनियम नाइट्रेट अथवा इसके किसी मिश्रण के लिए लागू नहीं होंगे, जैसाकि इस अधिसूचना के प्रारंभिक भाग में उल्लेख किया गया है, और अमोनियम नाइट्रेट अथवा इसके मिश्रण को विनियमित करने के लिए विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 5 और धारा 7 के अन्तर्गत अलग नियम बनाए जाएंगे।

[फा. सं. 17(19)/2010-विस्फोटक]

चैतन्य प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2011

S.O. 1678(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Explosives Act, 1884 (IV of 1884), the Central Government hereby declares that Ammonium Nitrate having the chemical formula  $NH_4NO_3$ , or any combination containing more than 45 per cent of Ammonium Nitrate by weight including emulsions, suspensions, melts or gels (with or without inorganic nitrates) shall be deemed to be an explosive within the meaning of the said Act :

Provided that such Ammonium Nitrate or any combination thereof shall not include those fertilizers from which Ammonium Nitrate cannot be extracted by any physical or chemical process.

Note: The Explosives Rules, 2008 shall not be applicable to Ammonium Nitrate or any combination thereof, as referred to in opening portion of this notification, except for the materials or mixtures classified as explosives under said Explosives Rules, 2008 and there shall be framed separate rules for regulating the Ammonium Nitrate, or combination thereof under Section 5 and Section 7 of Explosives Act, 1884.

[F.No. 17(19)/2010-Explosives]

CHAITANYA PRASAD, Jt. Secy.

2743 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064  
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.